.न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना–कुचामन

पीठासीन अधिकारी– श्री डॉ0 महेन्द्र खड़गावत, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या 96 / 2025
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2025 / 166

प्रार्थी

चन्द्री पत्नी हनुमानराम, जाति जाट, निवासी कीचक, तहसील मौलासर, जिला डीडवाना–कुचामन।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना।
2. उपखण्ड अधिकारी, (भू–रूपान्तरण अधिकारी) डीडवाना।
3. तहसीदार मौलासर एवं उपपंजीयक मौलासर।
4. फूले खां पुत्र सलावत खां
5. सरवर खां पुत्र सलावत खां
   समस्त जाति कायमखानी, निवासी बेरी खुर्द, तहसील मौलासर।
6. जीवणी बानो पत्नी नवाब खां, जाति कायमखानी, निवासी बेरी खुर्द, तहसील मौलासर।
7. खादिम खान पुत्र फूले खान
8. गुलाब बानो पत्नी फूले खान
9. मोहम्मद अजीज खान पु फूले खान
   समस्त जाति कायमखानी, निवासी बेरी खुर्द, तहसील मौलासर।
10. नजमा पत्नी नवाब खां, जाति कायमखानी, निवासी जतनपुरा बेरी खुर्द, तहसील मौलासर।
11. इदरीश खान पुत्र सरवर खान, जाति कायमखानी, निवासी जतनपुरा बेरी खुर्द, तहसील मौलासर।
12. जमीला बानो पत्नी सरवर खां, जाति कायमखानी, निवासी जतनपुरा बेरी खुर्द, तहसील मौलासर।

<u>मुन्तकिली आवेदन पत्र अधीन धारा 235 आर.टी.एक्ट</u>
<u>विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना बाबत्</u>
<u>राजस्व प्रकरण संख्या 196 / 2024</u>
<u>बअनुवान चन्द्री बनाम सरवर खां</u>

<u>–:निर्णयः–</u> दिनांक : 18.11.2025

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahendra Khadgawat
Date: 2026.04.01 15:00:43 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से हैः–

प्रार्थीया / वादीया ने [illegible] खातेदारी, बंटवाड़ा व दिलाने कब्जा व अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र ठोस आधार पर पेश किये गये है। परन्तु अप्रार्थी संख्या 4 व 5 जो कि राजनैतिक प्रभाव वाला व्यक्ति है जो अपने राजनैतिक प्रभाव का इस्तेमाल कर उक्त पत्रावली में अप्रार्थी फुले खां की तरफ से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 03.09.2024 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 (ए) सीपीसी को राजनैतिक दबाव से

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
डीडवाना–कुचामन

स्वीकार कराने में लगा हुआ है तथा बार–बार अप्रार्थी उपखण्ड अधिकारी के साथ मिलकर उक्त दावे को विधि विरूद्ध फैसल कराने की फिराक में है तथा उक्त प्रकरण की तारीखे भी विधि अनुसार ना देकर अपनी मर्जी से दी जा रही है तथा उपखण्ड अधिकारी डीडवाना ने बावजुद स्थगन आदेश के विधि विरूद्ध उक्त भूमि को बिना बंटवारा के ही आवासीय प्रयोजनार्थ व वाणिज्य प्रयोजनार्थ कर आबादी में कर दी। जिससे स्पष्ट जाहिर होता हैं कि अप्रार्थी संख्या 01 उपखण्ड अधिकारी डीडवाना/भू–रूपान्तरण अधिकारी अप्रार्थी फुले खां के साथ मिला हुआ है। दिनांक 07.03.2025 को स्पष्ट रूप से धमकी दी और कहा कि प्रार्थीया का दावा उक्त प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11(ए) सीपीसी को स्वीकार कर उक्त दावा प्रार्थीया का खारिज करवा दुंगा। प्रार्थीया को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डीडवाना से न्याय की कतई उम्मीद नहीं है।

अतः उक्त आवेदन पेश कर निवेदन है कि राजस्व वाद संख्या 196/2024 व प्रार्थना पत्र संख्या 127/2024 बअनुवान चन्द्री बनाम सरवर खां को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डीडवाना के यहां से किसी अन्य न्यायालय में अन्तरित किये जाने का सादर आदेश फरमावें।

प्रकरण में कार्यालय हाजा के पत्र क्रमांक 403 दिनांक 29.08.2025 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी डीडवाना से रिपोर्ट ली गई। उपखण्ड अधिकारी डीडवाना के पत्रांकः–कोर्ट/2025/318 दिनांकः–17.11.2025 के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डीडवाना में वाद संख्या 196/2024 बअनुवानः–चन्द्री बनाम सरवर खां वगैरह पेश किया है जो जैरतजवीज है जिसकी आगामी तारीख पेशी दिनांक 09.01.2026 को नियत है। प्रार्थी द्वारा लगाये गये आक्षेप मनगढ़त व आधारहीन है न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की सहमति से तारीख पेशी नियत की जाती है। अधोहस्ताक्षरकर्ता किसी प्रकार के राजनैतिक व अन्य दवाब में नही है तथा ऐसा कोई कार्य नही किया गया है जो न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध हो। पक्षकारान को उचित समय दिया जाकर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया जाता है। प्रार्थना–पत्र में लगाये गये आरोप मिथ्या, आधारहीन व कपोल कल्पित है। प्रार्थना–पत्र में मनगढ़त आरोप वर्णित किये गये है जिसे हस्ताक्षरकर्ता अस्वीकार करता है प्रकरण में गुणावगुण पर विधिसम्मत निर्णय पारित करना ही न्यायालय की मंशा रही है फिर भी किसी पक्षकार के मन में न्याय को लेकर संदेह उत्पन्न हो जाये तो उक्त स्थिति में हस्ताक्षरकर्ता भी प्रकरण में निर्णय पारित करना उचित नहीं समझता है। उक्त प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाता है तो न्यायालय को आपत्ति नहीं है।

पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड के अवलोकन के पश्चात में इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि प्रार्थी का मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डीडवाना के राजस्व वाद संख्या 196/2024 व प्रार्थना पत्र संख्या 127/2024 वअनुवान चन्द्री बनाम सरवर खां वगैरह को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डीडवाना से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नावां में स्थानान्तरित किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 18.11.2025 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahendra Khadgawat
Date: 2026.04.01 15:00:43 IST
Reason: SelfAttested

18.11.2025

(डॉ0 महेन्द्र खड़गावत, IAS)
जिला कलक्टर,
डीडवाना–कुचामन
जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन